आर.ई.ओ.–122

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651224, (का) फेक्स न० 2651227

क्रमांकः– प्रनि / जोविविनिलि / अनु–पीपीएम / पत्रा० /प्रे०सं० 933 जोधपुर,दिनांक 17/7/06

आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन होने से पूर्व ,प्रार्थना पत्र को स्थानान्तरण के लिये भूमि स्वामित्व की समयसीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध मे।

****

कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 22 (भाग–I) के अनुसार मूल गांव जिसके कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र पंजीकृत किया था उसकी सम्बन्धित पंचायत समिति की राजस्व सीमा मे स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है, परन्तु प्रार्थी के नाम भूमि स्वामित्व की कोई समयसीमा निर्धारित नही थी।

दिनांक 23.6.2006 को आयोजित समन्वय समिति की 95 वीं बैठक मे विषय वस्तु पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 22 (भाग–I) मे आंशिक संशोधन कर, यह निर्णय लिया गया कि कृषि कनेक्शन होने से पूर्व प्रार्थना पत्र को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के लिए, उस भूमि (भूमि जहाँ प्रार्थना पत्र का स्थानान्तरण चाहा गया है) का स्वामित्व प्रार्थी के नाम कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिए।

यह आदेश समस्त लम्बित पत्रावलियो पर भी लागू होगा।

(एम.एल.त्रिपाठी)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।